विधिक सेवा दिवस-2017

09-11-2017

विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य:

1) निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
2) कानूनी साक्षरता फैलाना
3) लोक अदालतों का आयोजन करना
4) विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना
5) अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं:

1) महिला और बच्चे
2) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य
3) औधोगिक कामगार
4) बड़े पैमाने पर प्राकृतिक/औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित
5) विकलांग व्यक्ति
6) हिरासत में व्यक्ति
7) वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है या जो आय सीमा केन्द्र/राज्य सरकार अधिसूचित करती है
8) मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित

निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है।

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं:

1) राष्ट्रीय स्तर पर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
2) राज्य स्तर पर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
3) जिला स्तर पर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
4) उप मंडल/तालुका स्तर पर : उप मंडल/तालुका विधिक सेवा समिति
5) उच्च न्यायालय स्तर पर : उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
6) उच्चतम न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर पर

निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा संस्था, फ्रंट ऑफिस (जिला न्यायालय परिसर/वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र में), लीगल सर्विसिस क्लीनिक अथवा Nalsa online portal http://www.nalsa.gov.in/slams या टोल फ्री नम्बर 15100 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

National Legal Services Authority (NALSA)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

12/11, जामनगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली - 110011 वेबसाईट : www.nalsa.gov.in

विधिक सेवा आपके द्वार पदयात्रा रवाना

रामगढ़. विधि सेवा दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय प्रांगण से विधिक सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के लिए सौ दिन की पद यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को हुआ. विधिक सेवा आपके द्वार पद यात्रा को प्रभारी प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. प्रभारी पीडीजे और डालसा सचिव शेखर कुमार ने कहा कि विधिक सेवा आपके द्वार कार्यक्रम लगातार सौ दिन तक चलेगा. इसके अंतर्गत डालसा की टीम सभी प्रखंड की पंचायतों में पदयात्रा करेगी. इस दौरान कानूनी जानकारी देकर निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि जन-जन तक कानून की जानकारी पहुंचना डालसा का लक्ष्य है. मौके पर पैनल अधिवक्ता अमरनाथ बंका, नौशाद आलम, डीएन सिंह, नौशाद अहमद, श्रीराम जी, रिटेनर अधिवक्ता विग्नेश दुबे, पूनम पांडे और विनोद कुमार महतो मौजूद थे.

पदयात्रा को रवाना करते पीडीजे आरबी पाल.

कानून की जानकारी रखना जरूरी: जिला जज

गोला। निज प्रतिनिधि

गोला रजरप्पा मोड़ स्थित अजजा आवासीय बालिका उवि में बुधवार को स्कूली छात्रों में कानूनी अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करने की गरज से विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विधान चंद्र चौधरी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ शेखर कुमार ने बच्चों को कानून की जानकारी दी। इस दौरान सत्र न्यायाधीश ने लीगल लिट्रेसी क्लब की जरुरतों पर बल देते हुए अजजा स्कूल में क्लब के स्थापना की औचारिक घोषणा की गई। खास तौर पर डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल श्रम व बाल अधिकार से जुड़े मामलों की जानकारी बच्चों और समाज के हर तबके को जरूरी है।

सचिव ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों में चरित्र निर्माण, अनुशासन, किताबी ज्ञान के साथ विधिक जानकारी के प्रति जिम्मेवारी तय करें। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे तो बाल अधिकारों के हो रहे हनन पर निगाह रख सकेंगे। इस दौरान

बुधवार को गोला में कानून की जानकारी देते सत्र न्यायाधीश। • हिन्दुस्तान

स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत का अतिथियों को आकर्षित किया। मौके पर डीडब्लुओ, बीडीओ श्रीमान मरांडी, सीओ रितेश जयसवाल, जेई समित कुमार, दीपक कुमार समेत समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थे।